अनुदान संख्या 50 - भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 50 - DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	553,16,00			
			558,87,00	374,09,10	- 184,77,90
पूरक	Supplementary	5,71,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				183,04,29
पूंजीगत:	**Capital :**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	456,51,00			
			456,52,00	394,88,61	- 61,63,39
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				61,42,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹18477.90 लाख) दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹571.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹18477.90 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹571.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and constituted 33 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	2116.00			
			1832.43	1660.82	-171.61
पु.	R.	-283.57			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	53200.00			
पू.	S.	571.00	35750.28	35748.28	-2.00
पु.	R.	- 18020.72			

(I) ₹1651.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1650.00 लाख मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग – अन्य इंजीनियरी उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹1651.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹1650.00 lakhs accounted for under Major Head "2852" - "Engineering Industries - Other Engineering Industries" - under the following heads:

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम को लागू करने के लिए बैंक वित्त पर ब्याज सहायता" - ₹1400.00 लाख; और

(A) "Interest subsidy on Bank Finance to Public Sector Undertakings for implementation of Voluntary Retirement Scheme" – ₹1400.00 lakhs; and

(खा) "वस्तु उद्योग क्षेत्र का आधुनिकीकरण" - ₹250.00 लाख।

(B) "Modernisation of Capital Goods Sector" – ₹250.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained untutilised due to non-receipt of proposals from Central Public Sector Enterprises.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय – भारी उद्योग विभाग" के अंतर्गत ₹455.18 लाख की बचत (₹2116.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार, पेशेवर सेवाओं, अन्य प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Heavy Industry" – saving of ₹455.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2116.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity, professional services, other charges and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2852" – "General - Industrial Education, Research and Training" - savings occurred under the following heads:-

(का) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना से संबंधित व्यय" - ₹1677.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2502.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और उपकर समिति की बैठक के आयोजन में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Expenditure in connection with Science and Technology Plan"- saving of ₹1677.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2502.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to availability of unspent balances of previous year and delay in holding of Cess Committee meeting.

(खा) "राष्ट्रीय मोटरवाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना" - ₹14654.00 लाख की बचत (₹48848.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "National Automotive Testing and Research and Development Infrastructure Project" - saving of ₹14654.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48848.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the capital section of the grant, savings /excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5530.00			
पु.	R.	- 5530.00	..	..	..
मुख्य शीर्ष "4860" उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries				
मू.	O.	1.00			
पू.	S.	1.00	6002.00	6000.00	-2.00
पु.	R.	6000.00			
मुख्य शीर्ष "6854" सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	15000.00			
पु.	R.	- 15000.00	..	..	..

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "6858" इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	25063.00	29935.00	29921.61	-13.39
पु.	R.	4872.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	5.00	3572.00	3567.00	-5.00
पु.	R.	3567.00			

(I) ₹45640.00 लाख का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹45530.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹45640.00 lakhs remained wholly unutilized under twelve heads; of these ₹45530.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि." - ₹5530.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" - "Paper and Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Paper Corporation Limited"- ₹5530.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the implementing agency.

(खा) मुख्य शीर्ष "6854" - "अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार स्कीमों का कार्यान्वयन" - ₹15000.00 लाख पुनरुद्धार स्कीम के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "6854"- "Others - Other Loans - Implementation of Revival Scheme of Public Sector Enterprises"- ₹15000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to various Public Sector Enterprises under revival scheme.

(गा) मुख्य शीर्ष "6858" "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम का कार्यान्वयन और सांविधिक देयताओं की अदायगी" - ₹25000.00 लाख विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के

(C) Major Head "6858" - "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Implementation of Voluntary Separation Schemes (VSS) and Payment of

उद्यमों को पुनरुद्धार योजना और स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम लागू करने और सांविधिक देयताओं की अदायगी के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

Statutory Dues"- ₹25000.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to various Public Sector Enterprises for implementation of revival schemes, Voluntary Retirement Scheme and payment of statutory dues and surrender of the balance amount.

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 में मुख्य शीर्ष "4860" - "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - नेपा मिल्स लि. में निवेश" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5999.00 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹6000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "4860" - "Paper and Newsprint - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Investments in Nepa Mills Ltd". Actual excess, however, was ₹5999.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "6858" –

(A) Major Head "6858" –

(क) "यातायात उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्कूटर्स इंडिया लि. को कर्ज" – ₹188.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Transport Equipment Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings– Loans to Scooters India Limited"- excess of ₹188.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);

(ख) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" –

(b) "Others Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(i) "हिंदुस्तान केबल्स लि. को कर्ज" – ₹11892.00 लाख (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थे;

(i) "Loans to Hindustan Cables Limited"- excess of ₹11892.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1.00 lakh);

(ii) "एचएमटी लि. को कर्ज" – ₹17228.61 लाख (₹5.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थे;

(ii) "Loans to HMT Limited"- excess of ₹17228.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs);

(iii) "त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि. को कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी के लिए कर्ज" – ₹343.00 लाख का अधिक व्यय

(iii) "Loan to Triveni Structurals Limited towards Payment of Salaries/wages and Statutory Dues of the Employees"-

(₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iv) "तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि. को कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी के लिए कर्ज" – ₹261.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "6860" – "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" –

(क) "नेपा लि. को कर्ज" – ₹2742.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "हिंदुस्तान पेपर निगम लि. को कर्ज" – ₹823.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

excess of ₹343.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);

(iv) "Loan to Tungbhadra Steel Products Limited towards payment of Salaries/wages and Statutory Dues of Employees"- excess of ₹261.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);

(B) Major Head "6860" – "Paper and Newsprint - Loans to Public Sector and other Undertakings"-

(a) "Loans to Nepa Limited"- excess of ₹2742.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh); and

(b) "Loans to Hindustan Paper Corporation Limited" – excess of ₹823.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh).

Excess under the above seven heads was due to requirement of additional funds towards the payment of salary/wages and statutory dues.